न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 513/2023

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
चेतनराम पुत्र आदुराम जाट निवासी ग्राम पीथासर, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर		1. तहसीलदार बापिणी, जिला जोधपुर 2. उपखण्ड अधिकारी लोहावट, जिला जोधपुर 3. जेठाराम पुत्र मदाराम 4. जुगाराम पुत्र मदाराम (जाति गेधवाल, निवासी ग्राम पीथासर, तहसील बापिणी, फलौदी) 5. शंकरराम पुत्र भेराराम 6. गेनाराम पुत्र मेघाराम 7. भवरूराम पुत्र आदुराम 8. मंगीलाल पुत्र नारायणराम 9. पुखराज पुत्र मूलाराम 10. जसाराम पुत्र कुम्भाराम 11. टीकूराम पुत्र पुरखाराम 12. पन्नाराम पुत्र मोहनराम 13. हिमताराम पुत्र मेघाराम 14. मूलाराम पुत्र गुमनाराम (जाति जाट, निवासी ग्राम पीथासर, तहसील बापिणी, फलौदी)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी लोहावट (जोधपुर) राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 06/2022 दिनांक 24.01.2023

उपस्थित–

1. श्री रूघाराम चौधरी, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 व 2 की ओर से
3. श्री भंवरसिंह रावलोत, वकील रेस्पो0 3 व 4
4. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 18.10.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा अंतर्गत धारा 131, 132 136 आरएलआर, एक्ट के तहत रेस्पो0सं0 2 के राजस्व आवेदन पत्र सं0 06/2022 (रिमाण्ड प्रकरण) में पारित आदेश दिनांक 24.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त: इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम पीथासर के खसरा नं0 977, 906, 910, 966, 912 व 955 की उल्लेखित हैक्टर भूमि में से चालू कदीमी रास्ते के प्रस्ताव पर 'प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021' में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश कमांक 370 दिनांक 6.12.21 द्वारा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध खसरा नं0 977 के खातेदार अप्रार्थी सं0 1–जेठाराम व 2–जुगाराम द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में प्रस्तुत अपील सं0 245/2021 अनवान जेठाराम बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनाक 17.12.21 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर उक्त खसरान की भूमि के संबंध मे उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर कर, बाद सुनवाई प्रकरण में पूर्व पारित आदेश कमांक 370 दिनांक 6.12.21 में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होने से यथावत रखने का निर्णय दिनांक 24.1.23 पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट–चेतनराम द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट खसरा नं0 906 का खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.23 पारित कर दिया गया, जिससे उसे सुनवाई का अवसर नही मिला। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की सह–खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसमें से रास्ता दर्ज करने हेतु रेस्पा0सं0 1 व 2 को कोई विधिक अधिकार नही है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क में रास्ते के प्रावधान है, खातेदार आवश्यकता होने पर आवेदन कर सकता है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का खसरा दो भागों में विभाजित हो गया है, अपीलांट ख0नं0 906 की माठ के सहारे–सहारे रास्ता देने को तैयार था। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बापिणी के प्रस्ताव पर आरएलआर एक्ट की धारा 131, 132 व 136 के प्रावधानों के तहत मौके पर चालू एवं सार्वजनिक रास्तों राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु पारित किया गया है। उक्त प्रस्ताव खातेदारान एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सरपंच ग्रा0प0 पीथासर की सहमति पर भिजवाया गया है। खसरा न0 906 सह-खातेदारी की भूमि है। उक्त प्रकरण मे रास्ते हेतु पूर्व पारित आदेश कमांक 370 दिनांक 6.12.21 के विरूद्ध खसरा नं0 977 के खातेदार अप्रार्थी सं0 1-जेठाराम व 2-जुगाराम द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर मे प्रस्तुत अपील सं0 245/2021 अनवान जेठाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.12.21 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर उक्त खसरान की भूमि के संबंध में उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई प्रकरण मे पूर्व पारित आदेश कमांक 370 दिनांक 6.12.21 में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होने से यथावत रखने का निर्णय दिनांक 24.1.23 पारित किया गया है। वर्तमान अपीलार्थी द्वारा पूर्व आदेश कमांक 370 दिनांक 6.12.21 के विरूद्ध तत्समय कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। रिमाण्ड प्रकरण 06/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24.1.23 में बाद उभय पक्ष की सुनवाई तहसीलदार बापिणी की मौका रिपोर्ट कमांक 1345 दिनांक 7.10.22 एवं निशानात गुगल मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित खसरान में से वर्षो पुराना कदीमी रास्ता विद्यमान है। अपीलाधीन आदेश बाद विस्तृत सुनवाई एवं आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत विधिसम्मत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बापिणी से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है, जिसमें खातेदारों सहमति दी हुई है। प्रकरण में रास्ते हेतु पूर्व पारित आदेश कमांक 370 दिनांक 6.12.21 के विरूद्ध खसरा नं0 977 के खातेदार अप्रार्थी सं0 1-जेठाराम व 2-जुगाराम द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में प्रस्तुत अपील सं0 245/2021 अनवान जेठाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.12.21 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर उक्त खसरान की भूमि के संबंध में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रिमाण्ड प्रकरण 06/2022 में बाद सुनवाई प्रकरण में पूर्व पारित आदेश कमांक 370 दिनांक 6.12.21 में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नही होने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से यथावत रखने का निर्णय दिनांक 24.1.23 पारित किया गया है। जो सार्वजनिक हित में विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 06/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

18.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर